महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर E-PAPER, सोमवार, 2 मार्च 2026
MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

शोध, नवाचार और स्वावलंबन की दिशा में एमडीएसयू का सशक्त कदम : कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल

अजमेर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक, शोध एवं उद्यमिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए दो प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य शोध सहयोग को सुदृढ़ करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि इन समझौतों से विश्वविद्यालय में शोध, नवाचार एवं उद्यमिता गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के व्यापक अवसर मिलेंगे।

एमओयू के अंतर्गत संबंधित संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाएँ संचालित करेंगे, संसाधनों का आदान-प्रदान करेंगे तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के संरक्षण एवं व्यावसायीकरण में सहयोग करेंगे। यह समझौते हस्ताक्षर की तिथि से पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेंगे। शोधार्थियों के लिए आवास, मार्गदर्शन, संगोष्ठी, सेमिनार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। चयनित शोधार्थियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम विकास को बल मिलेगा।

पहला समझौता विश्वविद्यालय और चोयल हब फॉर एग्रीबिजनेस रिसर्च, ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप (चार्ज) अजमेर के मध्य हुआ। इस सहयोग के अंतर्गत एग्रीबिजनेस, स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन, डिजिटल नवाचार, ग्रामीण आजीविका मॉडल, नीति-आधारित शोध तथा फील्ड विजिट के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही इंटर्नशिप एवं वॉलंटियरशिप के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

दूसरा समझौता विश्वविद्यालय और स्वदेशी शोध संस्थान, स्वदेशी स्वावलंबन न्यास, नई दिल्ली के मध्य संपन्न हुआ। इसके तहत अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रशासन, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों में संयुक्त शोध गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।

इन दोनों समझौता ज्ञापनों पर विश्वविद्यालय की ओर से कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल तथा संस्थाओं की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री राधे श्याम चोयल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उद्योगपति राधे श्याम चोयल, प्रो. सुभाष चन्द्र, प्रो. आशीष भटनागर एवं डॉ. आशीष पारीक उपस्थित रहे।

एमओयू (MOU) का पूरा नाम Memorandum of Understanding है, जिसे हिंदी में समझौता ज्ञापन कहा जाता है। यह दो या अधिक पक्षों—जैसे संस्थाएँ, संगठन, विश्वविद्यालय, कंपनियाँ या सरकारी विभाग—के बीच आपसी सहमति से किया गया एक लिखित दस्तावेज़ होता है। इसमें सहयोग के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियाँ और शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

विनायक दामोदर सावरकर एवं राष्ट्रनिर्माण का स्वदेशी यथार्थवाद

विशेष: विनायक दामोदर सावरकर की 60वीं पुण्यतिथि (26 फरवरी, 1966)

प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल

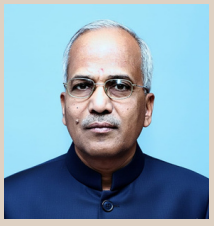

भारत के वैचारिक इतिहास में यदि कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी दृष्टि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित न होकर सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण तक विस्तृत रही, तो उनमें विनायक दामोदर सावरकर का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। सामान्यतः उन्हें एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, प्रखर चिंतक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में स्मरण किया जाता है, किंतु उनका आर्थिक चिंतन भी उतना ही सुदृढ़, यथार्थपरक और दूरदर्शी था। आज जब भारत आत्मनिर्भरता, उत्पादन-आधारित विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए युग में प्रवेश कर रहा है, तब सावरकर का आर्थिक दर्शन आश्चर्यजनक रूप से समसामयिक प्रतीत होता है।

राजनीतिक स्वतंत्रता का अनिवार्य आधार आर्थिक स्वतंत्रता

सावरकर का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र को वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं बना सकती, जब तक वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर न हो। उनके विचार में "राजनीतिक दासता" का मूल कारण "आर्थिक निर्भरता" ही है। अतः उन्होंने बार-बार इस तथ्य पर बल दिया कि स्वराज्य तभी सार्थक होगा जब उसके साथ स्वावलंबन का भाव भी जुड़ा हो। यह दृष्टि आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ आर्थिक उपनिवेशवाद के नए रूप—तकनीकी निर्भरता, पूंजी प्रवाह की असमानता और उपभोग-प्रधान विकास मॉडल—विकासशील राष्ट्रों को पुनः पराधीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

आर्थिक नीतियों का नैतिक मानदंड राष्ट्रहित

सावरकर का आर्थिक दर्शन किसी वाद विशेष—पूंजीवाद या समाजवाद—की संकीर्ण सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। वे न तो अंध-पूंजीवादी थे और न ही राज्य-नियंत्रित समाजवादी व्यवस्था के समर्थक। उनका आग्रह था कि किसी भी आर्थिक नीति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रहित में कितनी उपयोगी है। उनका यह दृष्टिकोण "राष्ट्रवादी उपयोगितावाद" की अवधारणा के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग के सभी साधनों का अंतिम लक्ष्य राष्ट्र की सामूहिक शक्ति और समृद्धि को बढ़ाना होता है।

औद्योगीकरण: राष्ट्रीय शक्ति का आधार

सावरकर आधुनिक औद्योगिकीकरण के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि भारत को केवल कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में सीमित रखना उसकी सामरिक और आर्थिक क्षमताओं को कमजोर करेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि—"जो राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है, वह युद्ध और शांति दोनों में ही पराधीन रहेगा।" इसलिए उन्होंने भारी उद्योगों, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर बल दिया। उनके विचार में मशीनें मनुष्य की शत्रु नहीं, बल्कि उसकी उत्पादकता की सहायक हैं। यह दृष्टिकोण उस समय के कई स्वदेशी विचारकों से भिन्न था, जो मशीनों को पश्चिमी शोषण का प्रतीक मानते थे।

श्रम और पूंजी में संबंध: पारस्परिक सहयोग का

सावरकर ने श्रमिक और पूंजीपति के बीच वर्ग-संघर्ष की मार्क्सवादी अवधारणा को भारतीय संदर्भ में अनुपयुक्त माना। उनका मानना था कि श्रम और पूंजी एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। उन्होंने "औद्योगिक समन्वय" की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उत्पादन की निरंतरता और गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए। उनकी दृष्टि में हड़ताल और तालाबंदी जैसे उपाय अंतिम विकल्प होने चाहिए, क्योंकि इनसे राष्ट्र की उत्पादक क्षमता प्रभावित होती है। उन्होंने श्रमिकों से आह्वान किया कि वे अपने श्रम को केवल जीविका का साधन न मानकर राष्ट्र-सेवा का माध्यम समझें।

स्वदेशी का व्यावहारिक स्वरूप

सावरकर स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे, किंतु उनका स्वदेशी भाव भावनात्मक बहिष्कार तक सीमित नहीं था। उन्होंने "व्यावहारिक स्वदेशी" की अवधारणा विकसित की, जिसमें विदेशी तकनीकऔर पूंजी का उपयोग तभी स्वीकार्य है जब वह राष्ट्र की उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करे। यह दृष्टिकोण आज की "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलों के साथ सहज रूप से मेल खाता है, जहाँ वैश्विक सहयोग को नकारा नहीं जाता, बल्कि उसे राष्ट्रीय हित के अनुरूप ढाला जाता है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

यद्यपि सावरकर औद्योगिकीकरण के समर्थक थे, उन्होंने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की। वे भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि-आधारित उद्योगों के विकास के पक्षधर थे। उनका मानना था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित रखने के बजाय उसे आधुनिक तकनीक और विपणन सुविधाओं से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण कुटीर उद्योगों के पुनर्जीवन पर भी बल दिया, ताकि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर सृजित हो सकें और शहरों की ओर पलायन कम हो।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आर्थिक प्रगति

सावरकर का आर्थिक चिंतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। वे अंध-परंपराओं और अवैज्ञानिक मान्यताओं को आर्थिक विकास में बाधा मानते थे। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रमुख स्थान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, आर्थिक प्रगति का मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार से होकर ही गुजरता है। इसलिए उन्होंने तकनीकी संस्थानों की स्थापना और अनुसंधान-आधारित उद्योगों के विकास की वकालत की।

राष्ट्रीयकरण बनाम निजीकरण

सावरकर ने न तो पूर्ण राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया और न ही अनियंत्रित निजीकरण का। उनका मानना था कि रक्षा, ऊर्जा और परिवहन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह संतुलित दृष्टिकोण आज के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के अनुरूप है, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर विकास की प्रक्रिया को गति देते हैं।

आर्थिक राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण

सावरकर का आर्थिक राष्ट्रवाद संकीर्ण संरक्षणवाद का समर्थन नहीं करता था। वे वैश्विक व्यापार और तकनीकी आदान-प्रदान के विरोधी नहीं थे, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करने से पूर्व उसके राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव का गंभीर विश्लेषण किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि आर्थिक वैश्वीकरण तभी लाभकारी हो सकता है जब वह आत्मनिर्भरता और उत्पादन-आधारित विकास को प्रोत्साहित करे, न कि केवल उपभोग-प्रधान बाजार का विस्तार करे।

उत्पादन का नैतिक आधार: राष्ट्रधर्म

सावरकर ने आर्थिक गतिविधियों को नैतिक दृष्टि से भी परिभाषित किया। उनके अनुसार उत्पादन केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रधर्म का एक अंग है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे अपने उद्योगों को केवल लाभ-केंद्रित न रखकर सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ संचालित करें। उनकी दृष्टि में कर-चोरी, भ्रष्टाचार और काला धन राष्ट्रद्रोह के समान हैं, क्योंकि ये राष्ट्र की सामूहिक संपत्ति को क्षति पहुँचाते हैं।

समकालीन संदर्भ में सावरकर का आर्थिक दर्शन

आज जब भारत "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब सावरकर का आर्थिक दर्शन नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। उनकी "राष्ट्रहित-आधारित आर्थिक नीति" की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि विकास का लक्ष्य केवल जीडीपी वृद्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति और सामाजिक समरसता का विस्तार होना चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में निवेश करते समय यदि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाए, तो विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी और टिकाऊ बन सकती है।

आत्मनिर्भरता से आत्मगौरव

सावरकर का आर्थिक दर्शन हमें यह संदेश देता है कि आर्थिक स्वाधीनता केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र, अनुशासन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। उन्होंने जिस आत्मनिर्भर, उत्पादक और सशक्त भारत की परिकल्पना की थी, वह आज भी हमारे विकास-पथ का प्रेरक लक्ष्य बन सकती है।

इस प्रकार विनायक दामोदर सावरकर का आर्थिक चिंतन केवल ऐतिहासिक महत्व का विषय नहीं, बल्कि समकालीन नीति-निर्माण के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक सिद्धांत है—जो हमें स्वदेशी यथार्थवाद के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

अनुसंधान: राष्ट्र की प्रगति और नवाचार का सशक्त आधार

वर्तमान समय में अनुसंधान (शोध) किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार बन चुका है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, कृषि तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के माध्यम से नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में किए जा रहे अध्ययन न केवल नई जानकारियाँ प्रदान करते हैं, बल्कि समाज की जटिल समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करते हैं।

अनुसंधान एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी विषय का गहन अध्ययन कर तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना शोध के कोई भी समाज दीर्घकालिक विकास की कल्पना नहीं कर सकता। यही कारण है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

हाल ही में विभिन्न विश्वविद्यालयों में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शोध गतिविधियों को सुदृढ़ किया गया है। इससे विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव भी मिलता है।

शोध परियोजनाओं के माध्यम से छात्र-छात्राएँ नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जो भविष्य में उद्योग और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसंधान किसी भी देश की उन्नति का मूल आधार है। यदि शिक्षा संस्थान, उद्योग और सरकार मिलकर शोध कार्यों को प्रोत्साहित करें, तो देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

जोड़ना है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अनुसंधान का उद्देश्य केवल नई खोज करना ही नहीं, बल्कि वर्तमान समस्याओं का ठोस समाधान प्रस्तुत करना भी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दवाओं की खोज, कृषि में उन्नत बीजों का विकास, पर्यावरण संरक्षण के उपाय तथा डिजिटल तकनीक के विस्तार—ये सभी अनुसंधान के परिणाम हैं।

अनुसंधान की विशेषताएँ

अनुसंधान *(Research)*

- यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है।
- इसमें तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित अध्ययन किया जाता है।
- इसका उद्देश्य नई जानकारी प्राप्त करना या पुरानी जानकारी की सत्यता जांचना होता है।
- यह वैज्ञानिक विधि (Scientific Method) पर आधारित होता है।

अनुसंधान के प्रकार

- मूल अनुसंधान *(Basic Research)* – ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- व्यावहारिक अनुसंधान *(Applied Research)* – किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है।
- गुणात्मक अनुसंधान *(Qualitative Research)* – विचारों और अनुभवों का अध्ययन।
- मात्रात्मक अनुसंधान *(Quantitative Research)* – आंकड़ों और संख्याओं के आधार पर अध्ययन।

अनुसंधान का उद्देश्य

नई खोज करना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, समाज, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास करना तथा तथ्यों की सच्चाई की जांच करना।

मेहनत की चमक:
दीक्षा मंगलानी ने यूजीसी-नेट में रचा सफलता का इतिहास

सपनों को साकार करने का साहस और निरंतर प्रयास की शक्ति जब एक साथ मिलती है, तो सफलता स्वयं मार्ग तलाश लेती है। ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की एम.कॉम. (ईएएफएम) अंतिम वर्ष की छात्रा दीक्षा मंगलानी ने, जिन्होंने दिसंबर 2025 में आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है।

यूजीसी-नेट जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास से मिलती है। दीक्षा ने नियमित अध्ययन और विषय की गहरी समझ को अपनी तैयारी का आधार बनाया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया और निरंतर प्रयास से यह मुकाम हासिल किया।

विभाग के शिक्षकों ने उनकी उपलब्धि को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह सफलता समर्पित मार्गदर्शन और छात्र की प्रतिबद्धता का सुंदर संगम है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी उन्हें शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि ऐसी प्रतिभाएँ ही संस्थान की पहचान बनती हैं।

दीक्षा की यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि यह संदेश है कि दृढ़ संकल्प और सतत परिश्रम से हर सपना साकार किया जा सकता है।

‘श्रेयस’ थीम के साथ युवाओं को सेवा का संदेश

“अजमेर। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ “श्रेयस : सामुदायिक प्रगति एवं सशक्त राष्ट्र का आधार युवा” विषय के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल रहे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए एनएसएस संयोजिका प्रो. मोनिका भटनागर ने बताया कि “श्रेयस” श्रेष्ठ मार्ग का प्रतीक है, जो व्यक्ति को आत्मिक उन्नति, सेवा और समाजहित की दिशा में प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि एनएसएस का मूल मंत्र “नॉट मी बट यू” युवाओं को निस्वार्थ सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित करता है।

मुख्य अतिथि कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अनुशासन, समाज सुधार, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात छात्रों को समाज से जोड़ने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1969 में एनएसएस की स्थापना की गई थी, जो आज देशभर के शिक्षण संस्थानों में युवाओं को सामुदायिक सेवा से जोड़ने का सशक्त मंच बन चुकी है।

कुलगुरु ने कहा कि उच्च शिक्षा के तीन प्रमुख स्तंभ—शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार (एक्सटेंशन)—में एनएसएस गतिविधियाँ विस्तार कार्य का महत्वपूर्ण आधार हैं, जो विश्वविद्यालय और समाज के बीच सेतु का कार्य करती हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों से आह्वान किया कि वे केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान की भावना से कार्य करें।

साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय एवं विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रोजेक्शन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे समाज और अन्य संस्थानों को प्रेरणा मिलेगी तथा विश्वविद्यालय की सामाजिक भूमिका सुदृढ़ होगी।

आभार व्यक्त करते हुए एनएसएस अधिकारी डॉ. आशीष पारीक ने बताया कि शिविर के दौरान ग्राम संवाद, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, नारी सम्मान, नशा मुक्ति तथा सामाजिक समरसता से संबंधित विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

कार्यक्रम में प्रो. सुब्रतो दत्ता, प्रो. ऋतु माथुर, प्रो. अरविन्द पारीक, प्रो. सुभाष चन्द्र, डॉ. राजू लाल शर्मा सहित अनेक शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. लारा शर्मा ने किया।

नई शिक्षा व्यवस्था की ओर बड़ा कदम: म.द.स. विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम सुधार पर महत्वपूर्ण बैठक

NEP 2020

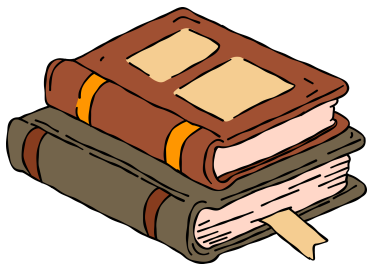

अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में ठोस पहल की है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज की एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न संकायों के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नई पाठ्यक्रम संरचना को अंतिम रूप देना और उसे आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी करना था। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर की पढ़ाई को सेमेस्टर और क्रेडिट आधारित प्रणाली के अनुरूप संचालित किया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को विषय चयन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे अपनी रुचि और करियर की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का संयोजन कर सकेंगे। बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए छात्रों को मुख्य विषय के साथ अन्य विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

नई पाठ्यक्रम संरचना में कौशल विकास, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों को विशेष स्थान दिया गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा, जो उन्हें रोजगार के क्षेत्र में अधिक सक्षम बनाएगा।

बैठक में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) प्रणाली को लागू करने पर भी सहमति बनी। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों से अर्जित किए गए क्रेडिट को जोड़ सकेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई अधिक लचीली और सुविधाजनक बनेगी।

यह व्यवस्था विद्यार्थियों को बीच में पढ़ाई छोड़ने या पुनः आरंभ करने की सुविधा भी प्रदान करेगी।

इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरण जागरूकता, नैतिक मूल्य, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता जैसे विषयों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालना समय की आवश्यकता है। बैठक में यह भी तय किया गया कि शिक्षकों को नई प्रणाली के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें। विश्वविद्यालय ने विश्वास जताया कि इन सुधारों के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों को आधुनिक, समावेशी तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त होगी।

बैठक के अंत में कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल (आयुक्त महाविद्यालय) ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आशीष भटनागर सहित विभिन्न संकायों के अध्यक्ष एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए नवीन पाठ्यक्रम संरचना को आवश्यक अनुमोदन के बाद आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के अनुरूप यह पहल विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी – लोकेश कश्यप, नेहा शर्मा और मानसी माहेश्वरी के संयुक्त प्रयास से टैबलॉयड पेपर का प्रकाशन।